उप निदेशक (प्रशासन) एवं
कार्यालयाध्यक्ष
हचमा. राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर (कोड नं. 102520)

Bid Form No..... Date: -..... Bid fee Rs. 200/-

BID FORM - AMC FOR AC/WATER COOLER/FREEZE/DEEP FREEZE for the period w.e.f. 01-07-15 to 30-06-16

1.	**Bid No.**	F.4 (11) RIPA/Store-P/2015/ dated
2.	**Bidding Authority & Address**	Director Genral , HCM RIPA, Jaipur
3.	**Telephone No.**	0141 - 5162502
4.	**Telephone-cum-Fax**	0141-2705420
5.	**Email**	hcmripa@sancharnet.in
6	**Web site**	**www.hcmripa.gov.in**
7.	**Bid form can be obtained and submitted up to**	**Date: 19-06-2015** **Time: 1.30 PM** **Place: Room No. 313, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017**
8.	**Opening of Bid for**	**Date: 19-06-2015** **Time: 3.00 PM** **Place: Room No. 114, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017**

Signature of Issuing Authority

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
JAIPUR - 302017

i Tender for **AMC FOR AC/WATER COOLER/ FREEZE/ DEEP FREEZE**
ii Information of the firm/tenderer.

a	**Name of the firm/tenderer**	
b	**Postal address**	
c	**Telephone Nos.**	**Residence:**
		Office:
		Mobile:
d	**Fax Nos.**	
e	**Email**	
f	**Name of Contacted person**	
	Telephone No.	
	Mobile No.	

iii. Address to (Tendering Authority) Director , HCM RIPA, Jaipur

iv. NIT reference F.4 (19) RIPA/Store-P/2013/ dated

v. Last date of submitting tender Form date up **to 4-4-2014 time 2.00 PM.**

vi. The tender fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No ..... Dated.....……

vii. EMD Rs 4000/- @ 2% of total estimated cost of service ie Rs.200000/- is deposited vide- ……..

viii. We agree to abide by all the conditions mentione d in the tender notice mentioned above and issued by the tendering authority and also the future conditions of the said tender notice given in the attached sheets **(all the page 1 to 15)** of which have been signed by us in acceptance of the terms & condition s mentioned therein).

ix. The successful tender is required to execute agreement with HCM RIPA on Rs. **500/--** Stamp Paper

x. The details of the services to be provided for items along with specifications are given below and on **annexture-A(page no 7 to 15)** may please specify rates against each item and also provide sample.

xi. Enclose copy of Experience Certificate.

2

SPECIFICATION

S.No	PARTICULARS	RATE INCLUDING TAXES For Annual Maintenance per item
1.	Split 1.5 Tones	
2.	Split 2.0 Tones	
3.	Window 1.5 Tones	
4.	Window 2.0 Tones	
5.	Water Cooler	
6.	Deep Freighter	
7.	Fridge	

नोटः– आईटम (ख) उक्त के अतिरिक्त निम्न आईटम की दरे भी देवें :–

नोट :–यह दरें उन ए.सी./वाटर कूलर्स/फ्रीज/डीप फ्रीज जोकि गत वर्ष की ए0एम0सी0 में शामिल नहीं थे तथा उन्हें दुरस्त करवाने हेतु निम्नांकित में से कोई भी वॉछित उपकरण लगाकर दुरस्त किया जाना है ।
आईटम क व आईटम ख हेतु अनुबंधित निविदादाता फर्म यदि एक हीं होगी तो निम्नानुसार दुरूस्ती पश्चात उसे संयंत्रों को ए.एम.सी. में उक्त अनुसार प्रस्तुत दरों पर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा ठीक किए गये उपकरण पर चार्ज की गयी राशि में से 10 प्रतिशत की राशि बतौर दण्ड काटली जावेगी ।

S.No	ITEMS	RATE INCLUDING TAXES
8.	Compressor 1.5 Tones	
9.	Compressor 2.00 Tones	
10.	Gass	
11.	Copper Fitting	
12.	Insulation	
13.	Moter Winding	
14.	Relay & Electrical Parts	
15.	Service	
16	Installation	
17.	Fiiter	
18.	Packing of Wooden	
19.	Thermostate	
20.	Selection Switch	
21.	Blade	
22.	Blower	
23.	Grill	

हस्ताक्षर मय मोहर
निविदादाता

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर–302017

संविदा अवधि दिनांक (1..4.14 से 31.3.15)
वार्षिक संधारण अनुबंध एंव सेवायें प्रदत्त करने के संबंध में
खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणीः निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा निविदाएं :–निविदाएं अधिकृत डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा हीं दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेगें । (एस.आर. फोर्म 11 में)
3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(11) संविदा के संबध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी ।

4. बिक्री कर/सेवा कर चुकता प्रमाण पत्रः कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं दे सकेगा। बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) तथा कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।
5. आयकर चूकती प्रमाण–पत्रः–निविदादाताओं को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण पत्र निविदाओं के साथ प्रस्तुत करना होगा । आयकर शोधन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर भी निविदा पर विचार किया जा सकेगा ।
6. निविदा प्ररूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक–पृथक से दिखाना चाहिए।
8. विधिमान्यताः निविदाएँ, 1 वर्ष की अवधि (1.4.14 से 31.3.15) के लिए विधिमान्य होंगी। ये दरें पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढायी जा सकेगी । आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
9. अनुमोदित सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।
11. विनिर्देशः (i) सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अनुरक्षण में की गयी सभी वस्तुएँ उसी कम्पनी का जिसका उपकरण ठीक किया जा रहा है उसी कम्पनी के मेक की होंगी । जहाँ पर वस्तुओं / उपकरण संबंधित कम्पनी के उपलब्ध नहीं हों तो आई.एस.आई. मार्क के होने चाहिए ।

(ii) वारंटी/गारंटी खण्डः निविदादाता यह गारंटी देगा कि लगाया गया माल/सामान/वस्तुएँ/उपकरण लगाये जाने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी।

(iii) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (ii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हों, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा। यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारणउन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(iv) विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख–रखाव एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रख रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्य कारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स प्राप्त कर सकेगा।

12. निरीक्षणः (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, को किसी भी समय सेवादाता/ अनुबन्ध कर्ता के कार्य के निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

अनुबन्ध/सेवा संविदा को, यदि सेवा/अनुबन्ध क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

(i) सुपुर्दगी अवधिः– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी, उस सेवा/अनुबन्ध आदेश प्राप्त करने के 30 दिवस के भीतर सेवा/अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) मात्रा की सीमा– आदेश को फिर से देनाः– यदि निविदा सूचना में दर्शित अवधि से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सेवा/अनुबन्ध करने के लिए बाध्य होगा।

(iii) यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं / वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

13. बयाना राशि (Earnet Money) :– (क) निविदा के साथ 4000/– रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पक्ष में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट मे माध्यम जमा कराई जायेगीः–

(ख) बयाना राशि का प्रतिदायः असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

14. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगाः

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

15. करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः –

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि नकद अथवा अथवा निदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जायेगी।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम सेवा/अनुबन्ध से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें नहीं है, प्रतिभू ति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
(vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः
(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।
16. भुगतानः (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जा एगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।
(4 निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
(ii) परिसमापित नुकसानीः– निविदा प्रपत्र में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।
1 (क) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(ख) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
17. वसूलियाँः– परिसमापित नुकसानी, टूट–फूट या रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उन को नहीं ठीक किया जाता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
18. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
19. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
20. संस्थान किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को अनुबंध करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
21. निविदादाता एक जोकि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अधीन निर्धारित है को रूपये 500/–के नॉन ज्यूडिशियल पत्र पर निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–
(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

22. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

23. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।
24. जो भी निविदाएं विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रदद कर दिया जाएगा ।
25. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जावे द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर सेवा प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Bid Form No……………. **Date: -…..……...** **Bid fee Rs. 200/-**

BID FORM - AMC FOR AC/WATER COOLER/FREEZE/DEEP FREEZE for the period w.e.f. 01-07-15 to 30-06-16

1.	**Bid No.**	F.4 (11) RIPA/Store-P/2015/ dated
2.	**Bidding Authority & Address**	Director Genral , HCM RIPA, Jaipur
3.	**Telephone No.**	0141 - 5162502
4.	**Telephone-cum-Fax**	0141-2705420
5.	**Email**	hcmripa@sancharnet.in
6	**Web site**	**www.hcmripa.gov.in**
7.	**Bid form can be obtained and submitted up to**	**Date: 19-06-2015** **Time: 1.30 PM** **Place: Room No. 313, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017**
8.	**Opening of Bid for**	**Date: 19-06-2015** **Time: 3.00 PM** **Place: Room No. 114, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017**

Signature of Issuing Authority

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
JAIPUR - 302017

i Bid for **AMC FOR AC/WATER COOLER/ FREEZE/ DEEP FREEZE**
ii Information of the firm/Bid .

a	**Name of the firm/Bid**	
b	**Postal address**	
c	**Telephone Nos.**	**Residence:**
		Office:
		Mobile:
d	**Fax Nos.**	
e	**Email**	
f	**Name of Contacted person**	
	Telephone No.	
	Mobile No.	

iii. Address to (Bidding Authority) Director Genral , HCM RIPA, Jaipur

iv. NIB reference F.4 (11) RIPA/Store-P/2015/ dated

v. Last date of submitting Bid Form date up **to 19-06-2015 time 1.30 PM.**

vi. The Bid fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No ..... Dated.....……

vii. Bid security Rs 4000/- @ 2% of total estimated cost of service ie Rs.200000/- is deposited vide- ……..

viii. We agree to abide by all the conditions mentioned in the Bid notice mentioned above and issued by the Bidding authority and also the future conditions of the said Bid notice given in the attached sheets **(all the page 1 to 15)** of which have been signed by us in acceptance of the terms & conditions mentioned therein).

ix. The successful Bid is required to execute agreement with HCM RIPA on Rs. **500/--** Stamp Paper

x. The details of the services to be provided for items along with specifications are given below and on **annexture-A(page no 7 to 15)** may please specify rates against each item and also provide sample.

xi. Enclose copy of Experience Certificate.

SPECIFICATION

S.No	PARTICULARS	RATE INCLUDING TAXES For Annual Maintenance per item
1.	Split 1.5 Tones	
2.	Split 2.0 Tones	
3.	Window 1.5 Tones	
4.	Window 2.0 Tones	
5.	Water Cooler	
6.	Deep Freighter	
7.	Fridge	

नोटः– वार्षिक रख–रखाव अवधि 2015–16 में उपरोक्तानुसार ए. सी. आईटम्स में कमी या वृद्वि होने पर उसका अनुबन्ध की दरों अनुसार भुगतान किया जायेगा।

ख

S.No	ITEMS	RATE INCLUDING TAXES
8.	Compressor 1.5 Tones	
9.	Compressor 2.00 Tones	
10.	Gass	
11.	Copper Fitting	
12.	Insulation	
13.	Moter Winding	
14.	Relay & Electrical Parts	
15.	Service	
16	Installation	
17.	Fiiter	
18.	Packing of Wooden	
19.	Thermostate	
20.	Selection Switch	
21.	Blade	
22.	Blower	
23.	Grill	

हस्ताक्षर मय मोहर
बोलीदाता

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर–302017

संविदा अवधि दिनांक (01..07.2015 से 30.06.2016)
वार्षिक संधारण अनुबंध एंव सेवायें प्रदत्त करने के संबंध में
खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणीः बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा बोली :–बोली अधिकृत डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा हीं दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेगें । (एस.आर. फोर्म 11 में)
3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (11) संविदा के संबध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी ।
4. बिक्री कर/सेवा कर चुकता प्रमाण पत्रः कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं दे सकेगा। बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) तथा कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।
5. आयकर चूकती प्रमाण–पत्रः–बोलीदाताओं को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा । आयकर शोधन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर भी बोली पर विचार किया जा सकेगा ।
6. बोली प्रारूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक–पृथक से दिखाना चाहिए।
8. विधिमान्यताः बोली 1 वर्ष की अवधि (1.7.15 से 30.6.16) के लिए विधिमान्य होंगी। ये दरें पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढायी जा सकेगी । आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
9. अनुमोदित सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनि र्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।
11. विनिर्देशः (i) सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अनुरक्षण में की गयी सभी वस्तुएँ उसी कम्पनी का जिसका उपकरण ठीक किया जा रहा है उसी कम्पनी के मेक की होंगी । जहाँ पर वस्तुओं / उपकरण संबंधित कम्पनी के उपलब्ध न हीं हों तो आई.एस.आई. मार्क के होने चाहिए ।

(ii) वारंटी/गारंटी खण्डः बोलीदाता यह गारंटी देगा कि लगाया गया माल/सामान/वस्तुएँ/उपकरण लगाये जाने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी।

(iii) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (ii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा बोलीदाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हों, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा। यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। बोलीदाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(iv) विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में बोलीदाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख–रखाव एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। बोलीदाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय क रने के लिए भी, चाहे वार्षिक रख रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स प्राप्त कर सकेगा।

12. निरीक्षणः (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, को किसी भी समय सेवादाता/ अनुबन्ध कर्ता के कार्य के निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

अनुबन्ध/सेवा संविदा को, यदि सेवा/अनुबन्ध क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

(i) सुपुर्दगी अवधिः– बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी, उस सेवा/अनुबन्ध आदेश प्राप्त करने के 30 दिवस के भीतर सेवा/अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) मात्रा की सीमा– आदेश को फिर से देनाः– यदि बोली सूचना में दर्शित अवधि से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो बोलीदाता अपेक्षित सेवा/अनुबन्ध करने के लिए बाध्य होगा।

(iii) यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं / वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

13. बयाना राशि (Earnet Money) :– (क) बोली के साथ 4000/– रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि महा निदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पक्ष में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट मे माध्यम जमा कराई जायेगीः–

(ख) बयाना राशि का प्रतिदायः असफल बोलीदाता की बयाना राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोली के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोली के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

14. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगाः

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्धा आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

15. करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः –

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए बोली स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि नकद अथवा महा निदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जायेगी।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम सेवा/अनुबन्ध से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषज नक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
(vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः
(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।
16. भुगतानः (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।
(4 निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
(ii) परिसमापित नुकसानीः– बोली प्रपत्र में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।
1 (क) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(ख) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
17. वसूलियाँः– परिसमापित नुकसानी, टूट–फूट या रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं ठीक किया जाता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
18. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
19. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
20. संस्थान किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को अनुबंध करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
21. बोलीदाता एक जोकि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अधीन निर्धारित है को रूपये 500/–के नॉन ज्यूडिशियल पत्र पर निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–
(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

22. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विव ाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

23. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।
24. जो भी बोली विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रदद कर दिया जाएगा ।
25. बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जावे द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर सेवा प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Bid Form No……………. **Date: -….……...** **Bid fee Rs. 200/ -**

BID FORM - AMC FOR AC/WATER COOLER/FREEZE/DEEP FREEZE for the period w.e.f. 1-6-15 to 31-5-16

1.	**Bid No.**	F.4 (11) RIPA/Store-P/2015/ dated
2.	**Bidding Authority & Address**	Director Genral , HCM RIPA, Jaipur
3.	**Telephone No.**	0141 - 5162502
4.	**Telephone-cum-Fax**	0141-2705420
5.	**Email**	hcmripa@sancharnet.in
6	**Web site**	**www.hcmripa.gov.in**
7.	**Bid form can be obtained and submitted up to**	**Date: 22-5-2015** **Time: 2.00 PM** **Place: Room No. 313, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017**
8.	**Opening of Bid for**	**Date: 22-5-2015** **Time: 3.00 PM** **Place: Room No. 114, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017**

Signature of Issuing Authority

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
JAIPUR - 302017

i Bid for **AMC FOR AC/WATER COOLER/ FREEZE/ DEEP FREEZE**
ii Information of the firm/Bid .

a	**Name of the firm/Bid**	
b	**Postal address**	
c	**Telephone Nos.**	**Residence:**
		Office:
		Mobile:
d	**Fax Nos.**	
e	**Email**	
f	**Name of Contacted person**	
	Telephone No.	
	Mobile No.	

iii. Address to (Bidding Authority) Director Genral , HCM RIPA, Jaipur

iv. NIB reference F.4 (11) RIPA/Store-P/2015/ dated

v. Last date of submitting Bid Form date up **to 22-5-2015 time 2.00 PM.**

vi. The Bid fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No ..... Dated.....……

vii. Bid security Rs 4000/- @ 2% of total estimated cost of service ie Rs.200000/- is deposited vide- ……..

viii. We agree to abide by all the conditions mentioned i n the Bid notice mentioned above and issued by the Bidding authority and also the future conditions of the said Bid notice given in the attached sheets **(all the page 1 to 5)** of which have been signed by us in acceptance of the terms & conditions mentioned therein).

ix. The successful Bid is required to execute agreement with HCM RIPA on Rs. **500/--** Stamp Paper

x. The details of the services to be provided for items along with specifications are given below and on **annexture-A(page no 1 to 5)** may please specify rates against each item and also provide sample.

xi. Enclose copy of Experience Certificate.

SPECIFICATION

S.No	PARTICULARS	RATE INCLUDING TAXES For Annual Maintenance per item
1.	Split 1.5 Tones	
2.	Split 2.0 Tones	
3.	Window 1.5 Tones	
4.	Window 2.0 Tones	
5.	Water Cooler	
6.	Deep Freighter	
7.	Fridge	

नोटः– वार्षिक रख–रखाव अवधि 2015–16 में उपरोक्तानुसार ए. सी. आईटम्स में कमी या वृद्वि होने पर उसका अनुबन्ध की दरों अनुसार भुगतान किया जायेगा।

ख

S.No	ITEMS	RATE INCLUDING TAXES
8.	Compressor 1.5 Tones	
9.	Compressor 2.00 Tones	
10.	Gass	
11.	Copper Fitting	
12.	Insulation	
13.	Moter Winding	
14.	Relay & Electrical Parts	
15.	Service	
16	Installation	
17.	Fiiter	
18.	Packing of Wooden	
19.	Thermostate	
20.	Selection Switch	
21.	Blade	
22.	Blower	
23.	Grill	

हस्ताक्षर मय मोहर
बोलीदाता

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर–302017

संविदा अवधि दिनांक (01.06.2015 से 31.05.16)

वार्षिक अनुबंध एंव सेवायें प्रदत्त करने के संबंध में
खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणीः बोलीताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलीँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा बोलीः–बोली वास्तविक डीलरो /सेवा दाताओं द्वारा हीं दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेगें ।
3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (11) संविदा के संबध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी ।
4. बिक्री कर/सेवा कर चुकता प्रमाण पत्रः कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं दे सकेगा। बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) तथा कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।
5. आयकर चूकती प्रमाण–पत्रः–बोलीदाताओं को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा । आयकर शोधन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर भी बोली पर विचार किया जा सकेगा ।
6. बोली प्ररूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समरूत निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक–पृथक से दिखाना चाहिए।
8. विधिमान्यताबोली 1 वर्ष की अवधि (01.06.15 से 31.05.16) के लिए विधिमान्य होंगी। ये दरें पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
9. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।
10. (i) सुपुर्दगी अवधिः– बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी, उस सेवा/अनुबन्ध आदेश प्राप्त करने के 30 दिवस के भीतर सेवा/अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) मात्रा की सीमा– आदेश को फिर से देनाः– यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो बोलीदाता अपेक्षित सेवा/अनुबन्ध करने के लिए बाध्य होगा।

(iii) यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं बोलीदाता सेवाओं / वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

1. **Bid security**:– (क) बोली के साथ 5000/– रु. की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पक्ष में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट मे माध्यम जमा कराई जायेगीः–

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदायः असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलीं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य संपादन प्रतिभूति को नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

12 बोल प्रतिभूति राशि का समाहरणः— बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा।

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भकरने में असफल रहाता है।

13.. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेपः —

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए बोली स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लि ए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा महानिदेशक,,ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जायेगी।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम सेवा/अनुबन्ध से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकायें नहीं है,कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा ।

(vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

14. भुगतानः (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

1ण (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानीः— बोली प्रपत्र में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।

1 (क) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने क ार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ख) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपु र्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

15. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

16. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

17. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

18. बोलीदाता एक जोकि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अधीन निर्धारित है को रूपये 500/–के नॉन ज्यूडिशियल पत्र पर निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

19. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

20. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

21. जो भी बोली विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रदद कर दिया जाएगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर